# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/23/2017 दिनांक: 4 मार्च, 2017

## प्रेस नोट

**विषय: गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के राज्य विधान सभा निर्वाचनों के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध।**

आयोग ने दिनांक 27 जनवरी, 2017 की अधिसूचना द्वारा गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के राज्य विधान सभा के चालू निर्वाचनों के लिए एग्जिट पोल के आयोजन के प्रतिबंध की अवधि अधिसूचित की थी। अधिसूचित की गई अवधि 04/02/2017 को 7.00 बजे पूर्वाह्न से 08/03/2017 को 17.30 घंटे (05.30 अपराह्न) तक थी।

उत्तर प्रदेश के 279-आलापुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तराखण्ड के 06- कर्ण प्रयाग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से क्रमश: निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री चंद शेखर और श्री कुलदीप सिंह कनवासी की मृत्यु हो जाने के कारण, आयोग ने उपर्युक्त दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान स्थगित कर दिए हैं और उक्त निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख 9 मार्च, 2017 (गुरूवार) नियत कर दी है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने एग्जिट पोल के आयोजन के प्रतिबन्ध की अवधि 09/03/2017 को अपराह्न 05.30 बजे तक विस्तारित कर दी है। इस आशय की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। अत: एग्जिट पोल के आयोजन और किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम का प्रसार अब दिनांक 09 मार्च, 2017 को अपराह्न 05.30 बजे तक निषिद्ध है।

**धीरेन्द्र ओझा**
**निदेशक**